



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 4920 / अका. / 2006

रायपुर, दिनांक 27/06/2006

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 02.02.2006 को सम्पन्न 11 वीं बैठक में नियमित छात्र-छात्राओं के लिए द्विवर्षीय (4 सेमेस्टर) Master in Pharmacy स्नातकोत्तर स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नवीन अध्यादेश क्रमांक 159 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह नवीन अध्यादेश अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावशील होगा।

अध्यादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 4921 / अका. / 2006

रायपुर, दिनांक : 27/06/2006

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
 3. विभागाध्यक्ष, फार्मसी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 4. प्राचार्य, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को।
 5. उप कुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय), पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
 6. प्रभारी, उपाधि प्रकोष्ठ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 7. वित्ताधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)